भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3743 का उत्तर

कन्याकुमारी और विरुदुनगर में रेल परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब

3743. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कन्याकुमारी और विरुदुनगर में रेल परियोजनाओं के पूरा होने में हुए विलंब से प्रभावित स्थानीय समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कटपडी-विल्लुपुरम, सेलम-करूर-डिंडिगल और ईरोड-करूर लाइनों के दोहरीकरण कार्य के लिए आबंटित निधि में कटौती करके 1.5 बिलियन रुपए से मात्र 1000 रुपए किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के बीच विशेषकर रोजगार के अवसरों और सेवाओं तक पहुंच के संदर्भ में रेल परियोजनाओं के लाभ किस प्रकार समान रूप से वितरित होंगे;

(घ) विशेषकर अन्य रेल परियोजनाओं में विलंब और लागत वृद्धि की हाल की रिपोर्टों के आलोक में इस क्षेत्र में उक्त परियोजनाओं की लागत में वृद्धि और विलंब को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(ङ) मदुरै-तिरुनेलवेली-नागरकोविल-कन्याकुमारी लाइन दोहरीकरण-सह-विद्युतीकरण परियोजना के वांचि मणियाच्चि-नागरकोविल खंड के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार/जिला-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता,

मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड तथा निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों में आती हैं। रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल वार ब्यौरा जिसमें लागत, व्यय और परिव्यय शामिल है, भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 22 रेल अवसंरचना परियोजनाएँ (10 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 2,587 किलोमीटर तथा लागत 33,467 करोड़ रुपए है, योजना और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से 665 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 7,153 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। कार्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	10	872	24	1,223
आमान परिवर्तन	03	748	604	3,267
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	09	967	37	2,664
कुल	22	2,587	665	7,153

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	879 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	6,362 करोड़ रु. (7 गुना से अधिक)

यद्यपि, निधि आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है, किंतु परियोजना के निष्पादन की गति त्वरित भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे, राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करती है और रेल परियोजनाओं का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	3389 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	866 हेक्टेयर (26%)
अधिग्रहण हेतु शेष भूमि	2523 हेक्टेयर (74%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बहरहाल, इसकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण लंबित कुछ मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	टिंडीवनम-तिरुवनमलाई नई लाइन (71 कि.मी.)	273	33	240
2	अट्टीपट्टू-पुत्तूर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189
3	मोराप्पुर-धर्मापुरी (36 कि.मी.)	93	0	93
4	मन्नारगुडी-पट्टूकोट्टाई (41 कि.मी.)	152	0	152
5	तंजावूर- पट्टूकोट्टाई (52 कि.मी.)	196	0	196

किसी रेल परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत वहन परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत के हिस्से को जमा कराने, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, किसी परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है।

काटपाडी-विल्लुपुरम (160 कि.मी.), सेलम-करूर-दिंडुक्कल (160 कि.मी.) और इरोड-करूर (65 कि.मी.) के दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को मंज़ूरी दे दी गई है। ये परियोजनाएं अभी भी योजना बनाने के चरण में है और इन्हें मंजूरी दी जानी है।

मनियाची-नागरकोइल (102 कि.मी.) दोहरीकरण परियोजना पूरी हो गई है। इससे खंड की लाइन क्षमता में सुधार हुआ है।

संबंधित क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं के लाभों में आवश्यक वस्तुओं और कृषि उत्पादों की तीव्र आवाजाही, इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यटन उद्योग का विकास और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि करना शामिल है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों

और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

*****